PUBLIC ADVERTISEMENT 31st ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

JANSATTA (HINDI) 22.08.2020

15. 50400 2000 314

190	अभिषित कार्यालय : श्री-अ, अएसआईशीसी पैकेप्रिंग कॉम्प्लेक्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 (भारत) फोन : +91-11-25927820, 25927919, फेक्स : +91-11-25927740, ई-मेल : Investor@flemindustries.com पेबसाइट : www.flemindustries.com सीआईएन : L389990L1989PLC034928	a, जीमारी फन्दर व
	31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (पूर्व सूचना)	
1.	एतदृद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों एवं तदघीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूप्पीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेकाए) प्रितियमावली, 2015 के साथ प्रतित कार्फेंट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सकुलर नंबर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 कमानुसार दिनकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 ('एनसीए सकुलर') और भारतीय प्रतिभूति एवं विभिमय बोर्ड द्वारा जारी सकुलर नंबर सेवी/एफओ/सीएफओ/सीएमओ/त्रीआईआर/भी/2020/78 विनक्तित 12 मई, 2020 ('संबी सकुलर') के अनुपालन में, भीयम इंडरट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम'), सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को पूर्वा. 10.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्स ('वीसी')/आन्य ऑदियो बिजुजल भीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से, किसी उमय खान पर लदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित वी जाएगी।	
2.	एमसीए सर्कुलर्स तथा सेवी सर्कुलर के अनुसार, एजीएम की सूचना तथा विलीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्थ, 2020 को समाप्त विलीय यमें हेतु विलीय विवरण शामिल है (वार्षिक रिपोर्ट), केवल ई-नेशक द्वारा उन सनी सदस्यों को मेजी जाएगी, जिलका ई-नेस पता कम्पनी अध्या उनके संबंधित दिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स (दीपी') के पास पंजीवद है। सदस्यगण एजीएम में केवल तीर्श्व/ ओएशिएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिकेट इलेक्ट्रोनिक पोटिंग अध्या एजीएम वे केवल तीर्श्व/ ओएशिएम के माध्यम से जुड़ और भाग ले सकते हैं। एजीएम में भाग लेने तथा रिकेट इलेक्ट्रोनिक पोटिंग अध्या एजीएम के देशन ई-नोटिंग सिस्टम के माध्यम से जुड़ और विकि हेतु अनुदेश एजीएम वी सूचना में उपलब्ध कराए जाएंगे। वीसी/ ओएवीएन के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के लिए की जाएगी। 31वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट <u>www.fiemindustries.com</u> धीएसई की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> तथा एनएसई की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर भी उपलब्ध होगी। आये, उन श्रेयराइं, जो नीतिक रूप में शेयरों के धारक है अववा जिनके द्वारा अपना <u>ई</u> -मेल पता कम्पनी / आरटीए अथवा डीपी के पास पंजीबद नहीं करवाया गया है. उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना अन्पनी / आरटीए अववा ईपी के पास पंजीबद नहीं करवाया गया है. उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त वेबसाइट स पर उपलब्ध एजीएम की सूचना कर्ष्या हजीएम से जुडने और भाग तेने तथा सिंग्र ड्वं-चोटिंग अपया एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डाल्ने की विधि के संबंध में दिए गए अनुदेश का पालन करें।	मकामा रहि (ज. में) 12 1. मैसर्स कुवेत स्व 2. जी मंत्रीय कुवत 3. जीमती सुव्या 13. जीमती सुव्या 4. जीमती कान्या 5. जीमती कान्या 6. जी रहमी कान्या म्वरुपया पहि (र. में) जात्या कार्यालय 1 (स.)
3.	ई—मेल पता, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर और लागांश प्राप्त करने हेतु बैंक आदेश पंजीकरण/अदातनीकरण की विधि :	अधिकृत प्राधिकारी, अ
	जिन शेयरधारको द्वारा अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नंबर कम्पनी / आरटीए / क्रिपीजिटशेज के पास पंजीबद्ध नहीं करवाया गया है तथा / अथवा लामांच राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज (ईसीएस) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु बैंक खाता आदेश अधरित नहीं करवाया गया है, उनसे उपरोक्त विवल्ण अतिशीध निम्नशिखित विधि में पंजीकृत / अदातित करवाने का अनुरोध किया जाता है :	विक्रम निर्धारित निधि 1. यह नीलामी प्रतिष् 2. डल्लियित सम्पनि
	(i) शीपी के पास विवरण पंजीकरण/ अव्यतनीकरण : यदि शंयर डीमेंट रूप में चारित हैं, ऐसे शंयरचारकों को दृढ़तापूर्व सलाह दी जाती है कि वे अपना ई—मेल पता, मोबाइल नंबर तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमेंट खाते में खीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत/ अध्यतित करवा लें।	15.09.2020 तथा 3. ई-मोलामी हेन्रु ई-
	(ii) आरटीए के पास विवरण पंजीकरण/अद्यतनीकरण : यदि शैयर भौतिक रूप में पारित हैं, श्रेयरधारक को हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंटिया प्राइवेट लिमिटेड की वेवसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/EmailReg/Email Register.html पर जाना होगा और फिर कम्पनियों की सूची से फीयम इंडरट्रीज लिमिटेड सिलेक्ट करना होगा तथा उसमें मांगा गया विवरण भरना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड और सममिट करने होंगे। यद्यपि, डीमैट रूप में शेयरों के धारक शेयरधारक अपना विवरण आरटीए के पास पंजीकृत/अद्यतित करवा सकते हैं, तथापि, ऐसे शेयरधारक के लिए अपना विवरण कंवल ठीपी के पास पंजीकृत/अद्यतित करथाना बेहतर होगा।	नम्बर 079-4107 हिमोस्ट्रेश-रागिथ 4. र्यु-नीलामी के इच 5. रू
	यदि कन्पनी किसी सदस्य को लामांश का भूगतान सदस्य का बैंक खाता अपूर्ण होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक विधि से करने में असमर्थ रहती हैं, तो कम्पनी ऐसे सदस्य को लामांश यारंट/बैंकर्स बैंक/डिमांड द्वाफ़ट, प्रधासंभव शीघ, अनुमत्य विधियों से प्रेषित करेंगी।	रु. जा सफता है। फि
4.	रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि :	भाग लेने की अनु
	(i) सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना चोट इलेक्ट्रोनिक मोटिंग सिस्टम ('ईमोटिंग') के माध्यम से डालने का अवसर प्रवान किया जाएगा।	 संविदाकार एक य (ईएमडी राशि के
	(ii) अमीतिक रूप, मौतिक रूप में कम्पनी के होयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनके द्वारा रिमोटली बोटिंग ('रिमोट ईपोटिंग') की विधि एजीएम की सूचना में दी जाएगी।	 विक्रय सूचना, ई ई-नीलामी प्रक्रि 10. कपिकृत प्राधिक
Į.	(iii) ई-वोटिंग सिस्टम से वोट डालगे की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित जिन सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित एजीएम के दौरान वोट डाल सकेंगे।	स्तम पंजीकृत) 11, प्रतिभूत आस्ति व
	(iv) सदस्यों को ई—वोटिंग सिस्टम से वोट वालने के लिए लॉगइन प्रत्ययपत्र ई—मेल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण, जिनको ई—मेल प्राप्त नहीं होती है अथवा उनका ई—मेल पता कम्पनी/आरटीए/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में दिए अनुवेशों का पालन कर लॉगइन प्रत्ययपत्र बना सकते हैं।	 मफल मॉफिदाका आस्ट्रीजीएस/पून के भीतर समिगी
	(V) शेयरबारकों के पोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी में कट—ऑफ तिथि अर्थात 14 सितम्बर, 2020 को उनके हिस्से के जनुपात में होंगे।	सम्पति पर कोई 13. संविधाकारों के
5.	लामांश पर टीढीएस :	(अ) सम्पति को वि
	वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, 01 अमैल, 2020 की प्रभावी तिथि से शेयरवारक के हाथों में लामांक आय कर योग्य होगी तथा कम्पनी द्वारा सदरयों को देय लामांश से आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी ऐक्ट) में निर्धारित दरों पर खोत पर कर कटौती की जानी ('टीडीएस') अपेक्षित है (यदि जस सदस्य के लिए लागू है)। अत सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी नियास खिती, वैन, आईटी ऐक्ट के अनुसार संवर्ग का विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैट के पास अथवा शेयर मौतिक रूप में धारित हैं, तो आरटीए के पास पूर्ण तथा/अध्यक्षि करवा लें। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के अधीन लागू प्रपत्र 1501/15एम/10एफ तथा अन्य लागू दरसायेज जमा करने के लिए, सदस्यगण हमारे आरटीए, विव इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर लिंक https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html देखें।	(व) बैंक के पूर्ण से प्रभावित करने और से किसी प्रकार से किसी (स) बैंक विक्री हेनु आयास समिति
	सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में सूचीबद सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में माम लेने, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अथवा एजीएम के दौरान वोट ठालने की विधि संबंधी अनुदेश साक्यानी के साथ पढ़ लें।	जायास सामात फ़्राधिकरों को व (य) संविधाकारों को
	वास्ते फीयम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	विधिक चकायो
	हस्ता./- तिथिः : 22 अगस्त, 2020 अरविन्द के. चौहान स्थानः राई, हरियाणा कम्पनी सचिव	 (य) संविधकारों को (र) विक्री सूचना/नि (ल) विक्री की मुचन

PUBLIC ADVERTISEMENT 31st ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

THE FINANCIAL EXPRESS (ENGLISH) 22.08.2020

